



संख्या-22/001/59डब्लू-26-27-3099-38-2026

प्रेषक,

चन्द्र भूषण

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 27 मार्च, 2026

विषय: मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, गोरखपुर में विचाराधीन इजरायवाद संख्या-531/2019 संजय कुमार सिंह बनाम अधिशासी अभियन्ता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-137/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/गण्डक, दिनांक 20.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती से संबंधित इजरायवाद संख्या-531/2019 संजय कुमार सिंह बनाम अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती के क्रम में प्रकरण में एवं मा0 सोल आर्बिट्रेटर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.2017 के अनुपालन हेतु धनराशि रुपये 01,02,03,524.00 (एक करोड़ दो लाख तीन हजार पांच सौ चौबीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 01,02,03,524.00 (एक करोड़ दो लाख तीन हजार पांच सौ चौबीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दम-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

चन्द्र भूषण

उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, गोरखपुर।
- (7) मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, गोरखपुर।
- (7) अनु सचिव (लेखा) / आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (8) कोषाधिकारी, बस्ती।
- (9) अधीक्षण अभियन्ता, गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती।
- (10) अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती।
- (11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- (13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- (14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
उप सचिव।